न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/54/2025	2025/59	14.01.2025	15.04.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. प्रमाती पुत्र ईसर, नि0 रूंधबीनक तहसील व जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना—पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

02—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान —वकील अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14(4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम रूंधबीनक, तहसील व जिला अलवर के हाल आराजी खसरा नं. 87 रकबा 1.26 हैक्टेयर किस्म बारानी—1 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नं. 87 रकबा 1.26 हैक्टेयर किस्म बारानी—1 भूमि वाके ग्राम रूंधबीनक, तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का पैंतपुर की रिपोर्ट दिनांक 01.01.2025 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी हाल खसरा नं. 87 रकबा 1.26 हैक्टेयर किस्म बारानी—1 भूमि वाके ग्राम रूंधबीनक, तहसील अलवर का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान कथन किया है कि हाल खसरा नम्बर 87 रकबा 1.26 है0 ग्राम रूंध बीणक तहसील व जिला अलवर राज. मिन अप्रार्थीयान के पिता मृतक प्रभाती के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है कि गत खसरा नम्बर 21 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 87 रकबा 1.26 है० बदोबस्त विभाग द्वारा सन 1995 में तहरीर किया गया है। साबिक खसरा नम्बर 21 रकबा 5 बीघा मिन अप्रार्थीयान के प्रभाती पुत्र ईसर कें नाम बतौर अन्तोदयी चयनित परिवार के दर से आवंटन किया गया था जिस पर आवंटित दर से आवंटन किया गया जिस पर आवंटी प्रभाती को भौतिक कब्जा दिया गया और आंवटित काबिज रहकर कास्त कर रहा था। तत्पश्चात प्रभाती की मृत्यु के बाद उसके वारिसान काबिज काश्त में है। आवन्टी प्रभाती का दो वर्ष पूर्व देहांत हो चूका है अब उसके वारिसान अप्रार्थीगण जायज वारिस है एवं कब्जा काश्त कर रहे है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी सरकार का कथन आवन्टी दीगर गाँव के है एवं मौके पर फसल नही है। यह गलत तथ्यों के आधार पर कंथन किया गया है। वास्तवम अप्रार्थीगण ग्राम बखतपुरा के निवासी है एंव रूंध बीणक बखतपुरा पंचायत का भाग है। वक्त आंवटन रूंध बीणक बेचिराग था। अतः प्रार्थी सरकार का कथन सरासर गलत न्यायालय श्रीमान को गुमराह करने का है। मौके पर मुताबिक गिरदावरी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

फसल दर्ज है। प्रार्थना पत्र 14(4) मृतक के नाम पेश कर कानूनी भुल की है न ही आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण मौके पर काबिज है बे रोक टोक काबिज कास्त कर रहे है, पीढी दर पीढी भूमि उनके कब्जे कास्त में हैं। वास्ते खातेदारी देनें अप्रार्थीगणों ने कई मर्ताबा तहसील कार्यालय व पटवारी जी से निवेदन भी परन्तु उनके द्वारा मात्र आश्वासन दिया गया है। अप्रार्थीगण गरीब एवं भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति, अन्तोदेयी के किसान है। अतः कृपया 14(4) का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है एवं अप्रार्थीगणों को खातेदारी देने के आदेश फरमाये।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ताओं की सुनी। बहस पूर्ण।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि खसरा नं. 87 का आवंटन वर्ष 1970 के पश्चात् अप्रार्थी के पक्ष में कृषि कार्य हेतु किया गया था। आवंटन के पश्चात् आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई। मौके पर आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा। पटवारी हल्का पैंतपुर की रिपोर्ट दिनांक 14.12.2024 के अनुसार मौके पर अप्रार्थी या उनके वारिसान का कोई काश्तकारी कब्जा नहीं है, न ही मौके पर उनकी कोई फसल पाई गई है। आवंटी द्वारा भूमि को स्वयं के उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, जो कि आवंटन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः नियम 14(4) के तहत उक्त आवंटन को निरस्त कर भूमि पुनः राज्य सरकार के खाते में दर्ज की जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया कि उक्त भूमि साबिक खसरा नं. 21 रकबा 5 बीघा, हाल खसरा नं. 87 रकबा 1.26 हैक्टेयर का आवंटन उनके प्रभाती पुत्र ईसर (अन्तोदयी परिवार) को हुआ था। प्रभाती की मृत्यु के बाद भूमि उनके वारिसान के नाम गैर–खातेदार दर्ज हुई। वर्तमान में अप्रार्थीगण (वारिसान) मौके पर पीढ़ी–दर–पीढ़ी काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र मृतकों के नाम पेश कर कानूनी भूल की गई है। अप्रार्थीगण ग्राम बखतपुरा के निवासी हैं (रूंधबीनक उसी पंचायत का हिस्सा है)। प्रार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि अप्रार्थी का कब्जा नहीं है, तो कब्जा किसका है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज कर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जावें।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, पटवारी रिपोर्ट एवं साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.12.2024 अत्यंत महत्वपूर्ण है। पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि खसरा नंबर 87 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी (प्रभाती) का नाम बतौर गैर–खातेदार दर्ज अवश्य है, परंतु मौके पर उपस्थित मौतबिरानों ने तस्दीक की है कि उक्त खसरे पर मूल आवंटियों या उनके वारिसान का कोई भौतिक कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा पाया गया है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 का मूल उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को स्वयं काश्त करने हेतु भूमि प्रदान करना है। आवंटन की यह एक मूलभूत शर्त है कि आवंटी या उसके विधिक वारिस भूमि पर स्वयं खेती करेंगे और उसे किसी अन्य को हस्तांतरित या बेचान नहीं करेंगे। पटवारी की रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण/वारिसान ने भूमि पर अपना कब्जा व काश्त त्याग दिया है और भूमि दीगर व्यक्तियों के कब्जे में चली गई है, जो नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तों का गंभीर उल्लंघन है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मूल आवंटी मृत हो चुके हैं। इस संबंध में यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि नियम 14(4) के तहत कार्यवाही मूल रूप से 'आवंटित भूमि' और 'आवंटन की शर्तों की पालना' से संबंधित है। यदि वारिसान भी आवंटन की शर्तों (स्वयं काश्त करना) को बनाए रखने में विफल रहते हैं और भूमि तीसरे पक्ष के कब्जे में पाई जाती है, तो आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही पूर्णतः वैध है। वारिसान मौके पर अपना व्यक्तिगत भौतिक कब्जा साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवंटित भूमि खसरा नं. 87 का उपयोग आवंटन की शर्तों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। भूमि पर मूल आवंटी या उनके जायज वारिसान का कब्जा न होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना सिद्ध पाया गया है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, अलवर का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार (भू०अ०) अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रूंधबीनक, तहसील व जिला अलवर के हाल आराजी खसरा नं. 87, रकबा 1.26 हैक्टेयर, किस्म बारानी–1 भूमि का अप्रार्थीगण/मूल आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकॉर्ड में उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भूमि से अप्रार्थी (प्रभाती पुत्र ईसर या उनके वारिसान) का नाम बतौर गैर–खातेदार खारिज कर, उक्त भूमि को पुनः राज्य सरकार के पक्ष में 'सवाई चक/बिलानाम राजकीय भूमि' के रूप में दर्ज करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)